



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 23.11.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- ❖ यातायात जागरूकता माह के अन्तर्गत जनपद में सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने तथा लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे आयोजित ।
- ❖ यातायात नियमों का बार-बार उल्लंघन कर खुद की व दूसरों की जान जोखिम डालने वाले लोगों पर की जा रही कड़ी कार्यवाही
- ❖ अभियान के क्रम में 03 दिवस में कुल 3172 वाहनों का चालान करते हुए कुल 31 लाख 37 हजार 400 रुपये का किया गया जुर्माना व साथ ही 05 वाहन को किया गया सीज ।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा **श्री पलाश बंसल** के कुशल निर्देशन में **यातायात जागरूकता माह** नवंबर के अन्तर्गत जनपद में होने वाली दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने तथा यातायात नियमों के प्रति आम-जनमानस को जागरूक करने हेतु व्यापक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, इस दौरान लोगों का रैलियों, नुक्कड़ नाटक, लघु फिल्मों, पम्प्लेट आदि के माध्यम से यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है । अभियान के दौरान लोगों को हेलमेट लगाकर दोपहिया वाहन चलाने तथा दोहपहिया वाहन पर बैठी सवारी को भी हेलमेट लगाने, चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने, नशे की हालत में वाहन न चलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है साथ ही यह बताया जा रहा है, कि यातायात नियमों का पालन न केवल कानून की दृष्टि से आवश्यक है बल्कि यह जीवन की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है इसलिए इसका पालन हम सभी को शत-प्रतिशत करना चाहिए, आपकी एक छोटी सी लापरवाही आप तथा आपके परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति ला सकती है । यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए बांदा पुलिस द्वारा लगातार विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की जा रही है, साथ ही अलग-अलग स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे भी सक्रिय किए गए हैं । यातायात नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए **दिनांक 21.11.2025 से 23.11.2025 तक** कुल **3172** वाहनों का चालान करते हुए कुल **31 लाख 37 हजार 400** रुपये का **जुर्माना** किया गया है, जिसमें सर्वाधिक बिना हेलमेट के 2483 वाहन, बिना सीटबेल्ट के 62 वाहन, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के 83 वाहन, मोबाइल फोन पर बात करने वाले 28 वाहन, तीन सवारी के 150 वाहन, नो-पार्किंग/गलत स्थान पर पार्किंग के 65 वाहन, गलत नम्बर प्लेट के 29 वाहन, ओवर स्पीडिंग के 22 वाहन, काली फिल्म लगे 05 वाहन, तथा चालक द्वारा नशे में वाहन चलाने वाले 04 वाहन शामिल हैं । इस दौरान बिना वैध परिपत्र के पाये जाने वाले **05 वाहनों** को **सीज** भी किया गया है ।